तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.59/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम इस हुक्म तामिलमें जारी हुए

06.8.2024

पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) शकेब खान पुत्र एस.के.खान, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म कामा राजपुताना (कामा होटलस् लिमिटेड), अधरदेवी रोड़, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या–2 (दो) जहांगीर रुस्तम, खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी, फर्म कामा राजपुताना (कामा होटलस् लिमिटेड), अधरदेवी रोड़, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही अनुपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 09.9.2023 को फर्म कामा राजपुताना (कामा होटलस् लिमिटेड)) अधर देवी रोड़, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता शकेब खान पुत्र एस.के. खान से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2202 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2495/Act/2023/2530 दिनांक 22.9.2023 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये, लेकिन प्रतिवादीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये एवं न ही प्रतिवादीगण की ओर से नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

हमनें पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 09.9.2023 को दौराने गश्त समय 12.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म कामा राजपुताना (कामा होटलस् लिमिटेड़), अधर देवी रोड़, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी शकेब खान पुत्र एस.के. खान, हाल निवासी– कामा होटल्स् लिमिटेड, अधर देवी रोड, माउन्ट आबू उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ पनीर की खाद्य सामग्री बनाकर आम जनता को बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा फर्म कामा राजपुताना (कामा होटल्स लिमिटेड), अधर देवी रोड़, माउन्ट आबू के निरीक्षण के दौरान आम जनता को खाद्य सामग्री बनाने में उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ पनीर के अमानक होने का शक

......लगातार

न्यायालय प्रांत० जिला न्यायाधीश सिरोही (राज०)

प्रांत. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:05 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No.59/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री श्रवण सिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता शकेब खान को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कामा राजपुताना (कामा होटल्स लिमिटेड) के अन्दर खाद्य सामग्री निर्माण स्थल में खाद्य सामग्री बनाने हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर लगभग 4 किलोग्राम में से 800 ग्राम खाद्य पदार्थ पनीर को एक साफ, खाली, सूखे भिगोनें में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 250/— (अक्षरे रुपये दो सौ पचास मात्र) प्रतिवादी विक्रेता शकेब खान को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2202, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता शकेब खान एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने प्रतिवादी विक्रेता एवं गवाह को चार साफ, खाली, सूखी शीशीयां दिखाकर खरीदशुदा पनीर को इन चारों शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों शीशीयों में फार्मेलीन की 20—20 बूंदे डालकर चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बंद करके प्रत्येक शीशी पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-2202 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता शकेब खान, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीéल्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो—दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफो ... आवेदक खाद्य सुरक्षा .....लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला न्यायाधीश सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला न्यायाधीश
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.59/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने दिनांक 11.9.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबु लाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 11.9.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा फर्म कामा राजपुताना (कामा राजपुताना होटलस्), अधर देवी रोड़, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता शकेब खान पुत्र एस.के.खान से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2202 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2495/Act/2023/ 2530 दिनांक 22.9.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2202 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि फर्म कामा राजपुताना (कामा होटलस् लिमिटेड), अधर देवी रोड़, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता शकेब खान पुत्र एस.के.खान ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी फर्म कामा राजपुताना (कामा होटलस् लिमिटेड़)) अधर देवी रोड़, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 80,000/– (अक्षरे रुपये अस्सी हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण शकेब खान व रुस्तम जहांगीर को आदेशित किया जाता है कि उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 11.9.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:05 IST
Reason: SelfAttested